सं0–2/नियुक्ति–12/2017 74(2)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषकः–

शेखर चन्द्र वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति
सभी जिला पदाधिकारी
सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
प्राचार्य, सभी चिकित्सा महाविद्यालय,
अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल
निदेशक, सभी स्वास्थ्य संस्थान।

पटना, दिनांक :– 25/01/2017

विषय :–चिकित्सकों/चिकित्सक शिक्षकों एवं पारामेडिकल कर्मियों के रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों एवं महाविद्यालयों में विशेषज्ञ चिकित्सक, सामान्य चिकित्सक, दन्त चिकित्सक एवं विभिन्न पारामेडिकल कर्मियों की अत्यधिक कमी है जिसके कारण कार्य के निष्पादन में काफी कठिनाई हो रही है। समय–समय पर स्वीकृत बल के आधार पर संविदा पर नियुक्ति करने हेतु आदेश निर्गत किए गए हैं। निदेशानुसार कहना है कि वर्तमान में रिक्त पदों की रिक्तियों को भरने हेतु निम्नांकित कार्रवाई की जायेः–

(1) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चिकित्सकों एवं पारामेडिकल कर्मियों के पदों की स्वीकृति दी गयी है तथा इसमें कई पद अंभी भी रिक्त हैं। अतः प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम इन पदों को भरने की कार्रवाई की जाये।

(2) इसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों की जो रिक्तियाँ हैं उनको भरने की कार्रवाई की जाये। सर्वप्रथम इस हेतु बिहार सरकार के आरक्षण नियमावली के आलोक में रोस्टर तैयार कर सक्षम प्राधिकार से इस पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(3) चयन की शर्तेः–

(क) संविदा के आधार पर कर्मचारियों का कोई नियोजन नहीं होगा, बल्कि स्वीकृत मानदेय के विरूद्ध उन्हें निर्धारित अवधि के लिये कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जायेगा।

(ख) उपर्युक्त नियुक्ति पूर्व से स्वीकृत एवं वर्तमान में रिक्त पदों के लिए ही की जायेगी।

Desktop/Puja/North Side/Peetptra

74(2)
25/01/2017

(ग) उपर्युक्त में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन अनिवार्य होगा।

(घ) संविदा एक वर्ष या नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए अनुमान्य होगा। यदि एक वर्ष तक नियमित नियुक्ति नहीं होती है तो इसे अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

(ड0) सामान्य उम्मीदवारों के चयन के लिए राज्य सरकार द्वारा विहित उम्र सीमा लागू होगी। सेवानिवृत सरकारी कर्मियों के लिए उम्र सीमा अधिकतम 65 वर्ष होगी।

(च) संविदा के आधार पर अनुबंधित व्यक्तियों को एक माह की नोटिस अथवा एक माह का मानदेय देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

(छ) संविदा के आधार पर अनुबंधित उम्मीदवार को, अभ्यावेदन के साथ, इस आशय का "Indemnity Bond" संलग्न करना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।

(4) <u>चयन की प्रक्रिया निम्नवत होगी:–</u>

(i) रोस्टर बिन्दु के अनुरूप रिक्तियाँ जिला स्वास्थ्य समिति अथवा संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय/अस्पताल के वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी एवं तत्संबंधी सूचना राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जायेगी।

(ii) पदों के लिए राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें (सेवानिवृत कर्मियों के लिए उम्र सीमा छोड़कर) यथावत लागू रहेगी।

(iii) वाक इन इंटरव्यू जिला स्वास्थ्य समिति/ चिकित्सा महाविद्यालय/अस्पताल में प्रत्येक माह के दूसरे एवं चौथे मंगलवार को आयोजित की जायेगी। इस तिथि को राजपत्रित अवकाश होने की स्थिति में वाक इन इंटरव्यू अगले तिथि को आयोजित की जायेगी। आवश्यकता होने पर वाक–इन–इंटरव्यू इसे प्रत्येक सप्ताह भी आयोजित की जा सकती है।

(iv) चयन का आधार उत्तीर्ण परीक्षा का प्राप्तांक होगा। उच्चतर डिग्री या अन्य किसी डिग्री में उत्तीर्णता का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप जिन पदों के लिये अहर्ता एम०बी०बी०एस० है, वहाँ एम०डी०,एम०एस० या अन्य उच्चतर डिग्री धारकों को अलग से कोई अंक देय नहीं होगा। मात्र एम०बी०बी०एस० के प्राप्तांक पर ही चयन किया जायेगा।

25/01/2017

(v) स्वीकृत बल के विरूद्ध रिक्त पदों पर संविदा पर नियुक्ति निम्नांकित प्रक्रिया द्वारा की जायेगी:–

(क) जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा ये रिक्तियाँ भरी जायेगी जिनमें निम्नांकित सदस्य होंगे:–

(i) जिला पदाधिकारी–सह– अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति (उनकी उपस्थिति में उनके द्वारा नामित अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी)	–	अध्यक्ष
(ii) सिविल सर्जन	–	सदस्य सचिव
(iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	–	सदस्य
(iv) जिला कल्याण पदाधिकारी	–	सदस्य
(v) अनुसूचित जाति/जनजाति का एक पदाधिकारी (प्राचार्य द्वारा नामित)	–	सदस्य
(vi) एक महिला चिकित्सक (प्राचार्य द्वारा नामित)	–	सदस्य

(ख) चिकित्सा महाविद्यालय में प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक इत्यादि पदों के चयन के लिये समिति निम्नवत होगा:–

(i) प्राचार्य	–	अध्यक्ष
(ii) संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष	–	सदस्य सचिव
(iii) अधीक्षक	–	सचिव
(iv) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का एक पदाधिकारी (प्राचार्य द्वारा नामित)	–	सदस्य
(v) एक महिला चिकित्सक (प्राचार्य द्वारा नामित)	–	सदस्य

(ग) चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में चिकित्सा पदाधिकारी, जी०एन०एम०, अन्य पारामेडिकल एवं अन्य पदों पर चयन हेतु समिति निम्नवत होगा:–

(i) प्राचार्य	–	अध्यक्ष
(ii) अधीक्षक	–	सदस्य सचिव
(iii) एक विभाग का विभागाध्यक्ष	–	सदस्य

74(2)
25/01/2017

(प्राचार्य द्वारा नामित)

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक पदाधिकारी (प्राचार्य द्वारा नामित) – सदस्य

(v) एक महिला चिकित्सक (प्राचार्य द्वारा नामित) – सदस्य

(घ) दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल में समिति का स्वरूप निम्नवत होगाः–

(i) प्राचार्य – अध्यक्ष

(ii) संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष (प्राचार्य द्वारा नामित) – सदस्य सचिव

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक पदाधिकारी (प्राचार्य द्वारा नामित) – सदस्य

(iv) एक महिला चिकित्सक (प्राचार्य द्वारा नामित) – सदस्य

चिकित्सा दन्त महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में रिक्त जूनियर रेजिडेंट, ट्यूटर, सीनियर रेजिडेंट, सहायक प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं प्राध्यापक के पदों पर भी संविदा के आधार पर नियुक्ति प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी।

समितियों द्वारा आवश्यकता के आधार पर किसी पदाधिकारी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

(vi) वाक इन इंटरव्यू की तिथि को आने वाले सभी अभ्यर्थियों को रोस्टर के आधार पर नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाये एवं शेष पदों के लिए अगली तिथि की सूचना विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाये।

(5) वर्तमान में विभिन्न चिकित्सक एवं अन्य पारामेडिकल कर्मियों के मानदेय में वृद्धि की गयी है, जो निम्नवत हैः–

क्रमांक	पद का नाम	निर्धारित मानदेय
1	विशेषज्ञ चिकित्सक	48,000/–
2	सामान्य चिकित्सक	44,000/–
3	दंत चिकित्सक	44,000/–
4	प्रयोगशाला प्रावैधिक	18500/–
5	एक्स रे टेकनीशियन	18500/–
6	फार्मासिस्ट	17500/–
7	शल्य कक्ष सहायक	17500/–

74 (2)
25/01/2017

8	बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता	16500/-
9	परिधापक	14500/-
10	एक्स रे मैकनिक	16500/-
11	ई0सी0जी0 टेकनीशियन	18500/-
12	वरीय रेडियोग्राफर	18500/-
13	परिचारिका श्रेणी ए0	32500/-
14	ए0एन0एम0	17500/-
15	ई0ई0जी0 टेकनीशियन	18500/-
16	ई0एम0जी0 टेकनीशियन	18500/-
17	एन0सी0भी0 टेकनीशियन	18500/-
18	इको टेकनीशियन	18500/-
19	टी0एम0टी0 टेकनीशियन	18500/-
20	होल्टर टेकनीशियन	18500/-
21	रेडियो थेरॉपी टेकनीशियन	18500/-
22	डायलेसिस टेकनीशियन	18500/-
23	आर0एस0ओ0	31500/-

(6) प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, सीनियर रेजिडेंट, ट्यूटर जूनियर रेजिडेंट के पदों का मानदेय पूर्व में ही स्वीकृत किया जा चुका है। इसमें अगर वृद्धि की आवश्यकता हो तो इस हेतु विभाग को अनुरोध के साथ प्रस्ताव भेजा जाये।

(7) जिन पदों का नाम उक्त सूची में नहीं है, उनके संबंध में विभाग को शीघ्र सूचित करेंगे जिससे कि उन पदों के लिये भी मानदेय निर्धारित किया जा सके।

अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में सभी रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करते हुये विभाग को सूचित किया जाये।

विश्वासभाजन

(शेखर चन्द्र वर्मा)
संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना।

ज्ञापांक 74 (2)

दिनांक 25/01/2017

प्रतिलिपिः–सभी निदेशक प्रमुख, सभी निदेशक, सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, सभी अपर निदेशक एवं अन्य, सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना।

Desktop/Puja/North Side/Peetptra